

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा मे,

मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद लखनऊ, बांदा, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर एवं बाराबंकी।

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/NPPCD/दिशा-निर्देश/०६/२०१३-१४/

दिनांक: ०३/०३/१४

विषय: राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१३-१४ के लिए अनुमोदित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त धनराशि एवं तदसम्बन्धी दिशा-निर्देश।

महोदय,

महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के प्रस्ताव के क्रम में राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत ८ जनपदों के जिला स्वास्थ्य समिति के खाते में रु० २०.५९८२२ लाख की धनराशि निम्नलिखित तालिका के अनुसार अवमुक्त की जा चुकी है -

S.N	FMR	D1.3	D1.3	D1.3	D2.2	Total	Unspent balance in DHS (Provided by Finance section SPMU)	Amount to be released
	District	Contractual Audiologist @ Rs.30000/ Month for 2 months	Contractual Audiologist Assistant @ Rs.15000 /Month	Contractual Instructor for hearing impaired children @ Rs.15000 /Month	Procurement of equipment for DH/ Sound proof room			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Lucknow	60000	30000	30000	1000000	1120000	916825	203175
2	Banda	60000	30000	30000	1000000	1120000	855625	264375
3	Varanasi	60000	30000	30000	1000000	1120000	844025	275975
4	Agra	60000	30000	30000	600000	720000	821125	0
5	Moradabad	60000	30000	30000	600000	720000	243703	476297
6	Saharanpur	60000	30000	30000	600000	720000	0	720000
7	Gorakhpur	60000	30000	30000	0	120000	0	120000
8	Barabanki	60000	30000	30000	0	120000	933746	0
Total		480000	240000	240000	4800000	5760000	4615049	2059822

2. अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उन्हीं मदों में किया जाएगा जिन मदों के लिए धनराशि अवमुक्त की जा रही है।

.....2

13. कार्यक्रम के अन्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि के उपयोग तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं/राज्य कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पृथक से सम्बन्धित जनपदों को निर्गत किया जायेगा। कार्यक्रम की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा करते हुये प्रति माह मिशन निदेशक के अवलोनार्थ प्रेषित की जायेगी।

14. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र० शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक

पत्र सं०: एस०पी०एम०यू०/NPPCD/दिशा-निर्देश/०६/२०१३-१४/८०१८-८-६ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, उ०प्र०।
3. राज्य कार्यक्रम अधिकारी, राष्ट्रीय बधिरता रोकथाम एवं निवारण कार्यक्रम, स्वास्थ्य भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग हेतु दिशा-निर्देश अपने स्तर प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, लखनऊ, बांदा, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर एवं बाराबंकी।
5. मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ, चित्रकूट, वाराणसी, आगरा, मुरादाबाद, सहारनपुर, गोरखपुर एवं फैजाबाद।
6. महाप्रबन्धक, एम०आई०एस०, एस०पी०एम०यू०, एन०आर०एच०एम० को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन०आर०एच०एम० की वेबसाइट-www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।

(अमित कुमार घोष)

मिशन निदेशक

5/11/14